न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा जिला खैरथल–तिजारा (राज०)

उक्त वाद/प्रार्थना पत्र/अपील का निर्णय/निस्तारण दिनांक 04.12.2023 को किया जा चुका है।

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा(खैरथल–तिजारा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjeev Kumar Verma
Date: 2024.11.28 16:13:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर) राज0

फार्म नं0 3

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0

पीठासीन अधिकारी महेन्द्र सिंह (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर	तारीख दायर	तारीख फैसला
554/2022	07-12-2022	04.04.2023

उनवान

01. किरणलता गोयल पत्नी मोहनलाल गोयल
02. शालू गोयल पत्नी नीरज गोयल
03. विमला मित्तल पत्नी रामस्वरूप मित्तल
04. रामस्वरूप मित्तल पुत्र रामदयाल मित्तल जाति महाजन निवासीगण ग्राम टपूकडा तहसील टपूकडा जिला अलवर (राज0)

-----:: वादीगण

बनाम

01. मनोज कुमार पुत्र रघुवीरप्रसाद
02. सुशीला पत्नी रघुवीरप्रसाद
03. इन्दु
04. उर्मिला
05. बीना
06. रेखा
07. रेणु पुत्रीयान रघुवीर प्रसाद जाति महाजन निवासीगण ग्राम टपूकडा तहसील टपूकडा जिला अलवर (राज0)

------:: प्रतिवादीगण

दावा इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज वो हुक्मइम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

-:: निर्णय ::-

प्रकरण के सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि वादीगण ने वाद इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज वो हुक्मइम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 651/344 रकबा 2.00 है0 व 725/344 रकबा 0.49 है0 वाके ग्राम टपूकडा तहसील टपूकडा जिला अलवर स्थित है। हाल आराजी खसरा नम्बर 345 रकबा 0.13 है0, 651/344 रकबा 2.00 है0, 653/346 रकबा 0.78 है0 भूमि किता 3 कुल [illegible] 2.91 है0 [illegible] टपूकडा तहसील टपूकडा जिला अलवर 1/4 भाग मिन वादीयां संख्या 1 ने जरिये रजि0 बयनामा [illegible] 2020 को प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 7 के पिता/पति रघुवीरप्रसाद पुत्र पोखरमल जाति महाजन नि[illegible] ग्राम टपूकडा जरिये मुख्तयार-आम मनोज कुमार जो प्रतिवादी संख्या 1 है, से बाकब्जा बाप्रतिफल अदा कर खरीद की थी, जो बयनामा उपपंजीयक महोदय, टपूकडा के यहां पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 103, पृष्ठ संख्या [illegible] क्रम संख्या 202003213100647 पर पंजीबद्ध कराया था तथा इसी प्रकार मिन वादीयां संख्या 2 ने हाल आराजी खसरा नम्बर 345 रकबा 0.13 है0,

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjeev Kumar Verma
Date: 2024.11.28 16:13:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर)

651/344 रकबा 2.00 है0, 653/346 रकबा 0.78 है0 भूमि किता 3 कुल क्षेत्रफल 2.91 है0 वाके ग्राम टपूकडा का 1/4 भाग जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 26.11.2020 को प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 7 के पिता/पति रघुवीरप्रसाद पुत्र पोखरमल जाति महाजन निवासी ग्राम टपूकडा जरिये मुख्तयार–आम मनोज कुमार जो प्रतिवादी संख्या 1 है, से बाकब्जा, बाप्रतिफल अदा कर खरीद की थी, जो बयनामा उपपंजीयक महोदय, टपूकडा के यहां पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 103, पृष्ठ संख्या 110 कम संख्या 202003213100648 पर पंजीबद्व कराया था इसी प्रकार मिन वादीयां संख्या 3 ने हाल आराजी खसरा नम्बर 345 रकबा 0.13 है0, 651/344 रकबा 2.00 है0, 653/346 रकबा 0.78 है0 भूमि किता 3 कुल क्षेत्रफल 2.91 है0 वाके ग्राम टपूकडा का 1/4 भाग जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 26.11.2020 को प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 7 के पिता/पति रघुवीरप्रसाद पुत्र पोखरमल जाति महाजन निवासी ग्राम टपूकडा जरिये मुख्तयार–आम मनोज कुमार जो प्रतिवादी संख्या 1 है, से बाकब्जा, बाप्रतिफल अदा कर खरीद की थी, जो बयनामा उपपंजीयक महोदय, टपूकडा के यहां पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 103, पृष्ठ संख्या 110 कम संख्या 202003213100649 पर पंजीबद्व कराया था इसी प्रकार मिन वादी संख्या 4 ने भी वर्णित आराजी का शेष 1/4 भाग खरीद किया था तथा इसी प्रकार हाल आराजी खसरा नम्बर 315 रकबा 3.45 है0, 725/344 रकबा 0.49 है0, 726/346 रकबा 0.02 है0 भूमि किता 3 कुल क्षेत्रफल 3.46 है0 वाके ग्राम टपूकडा का 1/4 भाग मिन वादीयां संख्या 1 ने जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 11.01.2021 को प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 7 के पिता/पति रघुवीरप्रसाद पुत्र पोखरमल जाति महाजन निवासी ग्राम टपूकडा जरिये मुख्तयार–आम मनोज कुमार जो प्रतिवादी संख्या 1 है, से बाकब्जा, बाप्रतिफल अदा कर खरीद की थी, जो बयनामा उपपंजीयक महोदय, टपूकडा के यहां पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 104, पृष्ठ संख्या 49 कम संख्या 202103213100034 पर पंजीबद्व कराया था इसी प्रकार वादीयां संख्या 2 ने हाल आराजी खसरा नम्बर 315 रकबा 3.45 है0, 725/344 रकबा 0.49 है0, 726/346 रकबा 0.02 है0 भूमि किता 3 कुल क्षेत्रफल 3.46 है0 वाके ग्राम टपूकडा का 1/4 भाग जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 11.01.2021 को प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 7 के पिता/पति रघुवीरप्रसाद पुत्र पोखरमल जाति महाजन निवासी ग्राम टपूकडा जरिये मुख्तयार–आम मनोज कुमार जो प्रतिवादी संख्या 1 है, से बाकब्जा, बाप्रतिफल अदा कर खरीद की थी, जो बयनामा उपपंजीयक महोदय, टपूकडा के यहां पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 104, पृष्ठ संख्या 49 कम संख्या 202103213100033 पर पंजीबद्व कराया था इसी प्रकार वादीयां संख्या 3 ने हाल आराजी खसरा नम्बर 315 रकबा 3.45 है0, 725/344 रकबा 0.49 है0, 726/346 रकबा 0.02 है0 भूमि किता 3 कुल क्षेत्रफल 3.46 है0 वाके ग्राम टपूकडा का 1/4 भाग जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 11.01.2021 को प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 7 के पिता/पति रघुवीरप्रसाद पुत्र पोखरमल जाति महाजन निवासी ग्राम टपूकडा जरिये मुख्तयार–आम मनोज कुमार जो प्रतिवादी संख्या 1 है, से बाकब्जा, बाप्रतिफल अदा कर खरीद की थी, जो बयनामा उपपंजीयक महोदय, टपूकडा के यहां पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 104, पृष्ठ संख्या 49 कम संख्या 202103213100031 पर पंजीबद्व कराया था इसी प्रका[illegible]या 4 ने हाल आराजी खसरा नम्बर 315 रकबा 3.45 है0, 725/344 रकबा 0.49 है0, 726/346 [illegible] किता 3 कुल क्षेत्रफल 3.46 है0 वाके ग्राम टपूकडा का 1/4 भाग जरिये रजिस्ट[illegible]मा दिनांक 11[illegible]021 को प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 7 के पिता/पति रघुवीरप्रसाद पुत्र पोखरमल जाति महाजन निवासी ग्राम [illegible]कडा जरिये मुख्तयार–आम मनोज कुमार जो प्रतिवादी संख्या 1 है, से बाकब्जा, बाप्रतिफल अदा कर खरीद की [illegible], जो बयनामा उपपंजीयक महोदय, टपूकडा के यहां पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 104, पृष्ठ संख्या 49 कम संख्या 202103213100032 पर पंजीबद्व कराया था

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjeev Kumar Verma
Date: 2024.11.28 16:13:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

(क्रमशः 3 3)

जिस अनुसार हाल आराजी खसरा नम्बर 345, 653/346 व 315 व 726/346 में तो मुताबिक बयनामेंजात के अनुसार नामान्तकरण दर्ज व मंजूर होकर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में हम वादीगण के नाम अमल आ गया तथा शेष उपरोक्त विवादित आराजी खसरा नम्बर 651/344 रकबा 2.00 है0 में वादी संख्या 4 का अमल कर दिया व वादीगण संख्या 1 लगायत 3 के नाम का अमल नहीं किया तथा नामान्तकरण दर्ज व मंजूर नहीं किया तथा इसी प्रकार हाल आराजी खसरा नम्बर 725/344 रकबा 0.49 है0 वाके ग्राम टपूकडा तहसील टपूकडा जिला अलवर में वादीगण संख्या 1 लगायत 4 के नाम मुताबिक बयनामा नामान्तकरण दर्ज व मंजूर नहीं किया एवं विवादित आराजीमे बाला बाला चुपचाप रूप से प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 द्वारा अपने नाम विरासत इंतकाल संख्या 3846/09.02.2022 को दर्ज व मंजूर कराकर राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 ने अमल बेजा तौर से करा लिया। वक्त खरीद की दिनांक से ही वादीगण उपरोक्त खरीदशुदा भूमि पर काबिज व दाखिल चले आ रहे है। वादीगण का आराजी पर मौके पर वास्तविक कब्जा है। वादीगण आराजी के सदभावी क्रेता है। आराजी खरीद के बाद हम वादीगण ने असल बयनामा वास्ते नामान्तकरण दर्ज व स्वीकार कराने हेतु हल्का पटवारी को दे दिया था। हल्का पटवारी ने नामान्तकरण दर्ज व स्वीकार करने का आश्वासन दिया। वादीगण, हल्का पटवारी के आश्वासन पर रहे और रघुवीरप्रसाद पुत्र पोखरमल का देहान्त हो गया। रघुवीरप्रसाद के मरने के बाद उसके वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 ने हल्का पटवारी से मिलीभगत कर तथा तत्कालीन हल्का पटवारी ने लापरवाही व लोकसेवक के कर्तव्यों की अवहेलना करते हुये मुताबिक बयनामा खरीदशुदा आराजी का नामान्तकरण हम वादीगण के पक्ष में दर्ज व स्वीकार नहीं किया तथा रघुवीरप्रसाद पुत्र पोखरमल का विरासत इंतकाल संख्या 3846 प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 के नाम दर्ज व स्वीकार कर दिया तथा जिस नामान्तकरण संख्या 3846 के आधार पर वर्तमान जमाबन्दी में प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 के नाम का अमल आया हुआ है। रघुवीरप्रसाद पुत्र पोखरमल के वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 को यह भली भांति जानकारी थी कि उनके पिता रघुवीरप्रसाद ने विवादित आराजी का विक्रय हम वादीगण के पक्ष में बाकब्जा बाप्रतिफल प्राप्त कर किया हुआ है एवं प्रतिवादी संख्या 1 स्वयं ही आराजी का मुख्तयार-आम था जिसने बयनामेंजात पंजीबद्व कराये है लेकिन उसके बावजूद प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 ने रघुवीरप्रसाद की विरासत इंतकाल संख्या 3846 अपने नाम दर्ज व स्वीकार कराया तथा वर्तमान जमाबन्दी में प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 के नाम का अमल आया हुआ है। कानूनन तौर पर आराजी का विक्रय हो जाने के बाद प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 के कोई हक व अधिकार शेष नहीं बचे थे। विरासत दर्ज होने के कारण वादीगण के हक में नामान्तकरण दर्ज व स्वीकार नहीं हो सका है। वादीगण, विवादित आराजी की खरीदशुदा काबिज मालिक है तथा मौके पर वादीगण का वास्तविक कब्जा है। वादीगण बोनाफाईड परचेजर विद वैल्यु विद कन्सीडेशन विदाउट नोटिस है। जिससे वादीगण के हक हकूकों पर कुठाराघात होता है। प्रतिवादीगण द्वारा जो [illegible] है, वह वादीगण के हकूकों तक बातिल वो बेअसर है, प्रारम्भ से ही शून्य है, नाकाबिले पाबन्दी है। [illegible] बातिल वो बेअसर व शून्य घोषित कराकर मुताबिक बयनामा प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 के [illegible] अमल का हजफ कराकर वादीगण मुताबिक बयनामेंजात हाल आराजी खसरा नम्बर 651/344 रकबा 2.00 है0 में वादीगण संख्या 1 लगायत 3 प्रत्येक अलग अलग 1/4, 1/4, 1/4 भाग कुल 3/4 भाग व हाल आराजी खसरा नम्बर 725/344 रकबा 0.49 है0 वादीगण संख्या 1 लगायत प्रत्येक अलग अलग 1/4, 1/4, 1/4, 1/4 भाग यानि सालिम भाग के खातेदार काश्तकार घोषित कराकर इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज की डिकी प्राप्त करने के अधिकारी है।

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjeev Kumar Verma
Date: 2024.11.28 16:13:08 IST
Reason: SelfAttested

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया व जवाब दावा प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 उपस्थित होकर अपना इकबाल जवाब दावा प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया प्रतिवादीगण द्वारा इकबाल जवाब दावा प्रस्तुत किया है जिसमें सम्पूर्ण वाद पत्र का स्वीकृत किया है व मुताबिक रजिस्टर्ड बयनामों एवं प्रस्तुत इकबाल जवाब के आधार पर दावा वादी डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

अतः दावा वादीगण डिक्री किया जाकर हाल आराजी खसरा नम्बर 651/344 रकबा 2.00 है0 व 725/344 रकबा 0.49 है0 वाके ग्राम टपूकडा तहसील टपूकडा जिला अलवर पर वादीगण संख्या 1 लगायत 4 का 1/4, 1/4, 1/4, 1/4 भाग के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। पर्चा डिक्री जारी हो।

आदेश सुनाया गया।

(महेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर)

F_A

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjeev Kumar Verma
Date: 2024.11.28 16:13:08 IST
Reason: SelfAttested